भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

सत्यमेव जयते

"पारम्परिक कलाओं/शिल्पों के विकास हेतु कौशलों एवं प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद)"

वर्ष 2018–19 से 2019–20 के लिए परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों (पीआईए) को पैनल में शामिल करने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रण सूचना

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय **"पारम्परिक कलाओं/शिल्पों के विकास हेतु कौशलों एवं प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद)"** के अधीन वर्ष 2018–19 से 2019–20 के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए पैनल में शामिल किए जाने हेतु पात्र संगठनों/संस्थानों से निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित करता है। उस्ताद योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कलाओं और शिल्पों की विरासत को संरक्षित करना और पारंपरिक शिल्पकारों और दस्तकारों की क्षमता का निर्माण करना तथा बाजार लिंकेज स्थापित करना है। आरएफपी दस्तावेज मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध हैं जिनमें सूचनात्मक पारंपरिक कलाओं/शिल्पों की सूची दी गई है।

निम्नलिखित पात्र संगठन आवेदन कर सकते हैं:–

- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन कम से कम 3 साल से पंजीकृत सोसाइटियां और जिनका स्थापित बाजार लिंकेज के साथ ऐसे पारंपरिक कौशल विकास पाठ्यक्रमों को आयोजित करने का अनुभव हो।
- कोई प्रतिष्ठित निजी मान्यता प्राप्त/पंजीकृत व्यावसायिक संस्थान जो स्थापित बाजार लिंकेज के साथ कम से कम तीन साल से ऐसे पारंपरिक कौशल विकास पाठ्यक्रम संचालित कर रहा हो।
- कोई उद्योग या उद्योगों का संघ जो योजना के वित्तीय मापदंडों के अनुसार एक उपयुक्त योजना के साथ ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र चलाने का इच्छुक हो।
- विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित केन्द्र/राज्य सरकारों का कोई संस्थान और पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों सहित केन्द्र/राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान जिनमें ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने की क्षमता हो।

1. संगठनों/संस्थानों को नीति आयोग दर्पण पोटल पर पंजीकृत होना चाहिए।
2. प्रस्ताव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के उस्ताद पोर्टल http://usttad.minorityaffairs.gov.in पर ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए और प्रस्ताव की निर्धारित प्रारूप में हार्ड प्रति "अवर सचिव (उस्ताद)" अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, 11वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 को भी भेजी जानी चाहिए।
3. **विस्तृत दिशा–निर्देश, पात्रता मापदंड और प्रस्ताव प्रारूप www.minorityaffairs.gov.in व http://usttad.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध हैं।**
4. ऑनलाइन और हार्ड प्रति (मंत्रालय को विधिवत रूप से हस्ताक्षरित आवदेन प्रपत्र) दोनों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर, 2018 को सायं 5.00 बजे तक है।

हस्ता/–

अवर सचिव (उस्ताद)